



174

न्यायालय श्रीमान ~~जिना कान्हो~~ महोदय, मंदसौर म.प्र.

R-1542-2/13

प्र.क्र.- 102/नि.01/11-12

गोरधनलाल पिता कन्हैयालाल महाजन ,

निवासी- कयामपुर कृषक-ग्राम ~~800~~ हालुखेडी परगना

सीतामऊ, जिला मंदसौर म.प्र.

आवेदक

विरुद्ध

प्रहलादसिंह पिता लघनाथसिंह जाति-ब्राह्मण ,

निवासी- कयामपुर कृषक हालुखेडी परगना सीतामऊ

जिला मंदसौर म.प्र.

अनावेदक

माननीय महोदय,

निगरानी प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व

संहिता-1959 बनाराजगी प्र.क्र.- 11/अ/12/11-

में राजस्व निरीक्षक वृत कयामपुर द्वारा दिनांक -

-14/5/12 में किये गये । सीमाकिन से उत्पीड़ित होकर पेश है।

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्नवत् है:-

§ 18 यह कि, आवेदक के सह-स्वामीत्व व आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम हालुखेडी परगना सीतामऊ में स्थित होकर जिसके सर्वे नम्बरान 469, 472 व 473, होकर जिसकी लगभग हुई भूमियाँ अनावेदक की भूमि नम्बर- 466, 467, 468 होकर अद्य-दिन अनावेदक सीमाके विवाद करता रहने से आवेदक ने अपनी भूमियों का सीमाकिन राजस्व निरीक्षक वृत-1 से प्रकरण क्र.- 38/अ/12/11-12 से दिनांक - 13-05-2012 को कराया राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके पर सीमा किट कायम किये

2-11-13  
6-7-12

RAC  
S. K. Singh  
6/7/12

क्रमांक 1248  
पोस्ट टांग आज  
को प्राप्त

5-4-13  
राजस्व निरीक्षक  
कयामपुर म.प्र. न्यायालय



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1542-1/13

[गोरधन / शर्मा]

जिला मंदसौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाष आदि के हस्ताक्षर
23-3-2018	<p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आवेदक पेशी दिनांक 15-1-15 के बाद अनुपस्थित है। न्यायहित में आवेदक की उपस्थिति के लिए प्रकरण में आज दिनांक 23-3-2018 तक इंतजार किया गया। अतः आवेदक को प्रकरण के निराकरण में रुचि नहीं होने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p>	<p>अध्यक्ष</p>